न्यायालयः— अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 समक्ष—डी०सी०थपलियाल

प्रकरण कमांक 55 / 13 वैवाहिक

श्रीमती सरोज कुशवाह पत्नी जगदीश कुशवाह 23 वर्ष पुत्री पंचम सिंह कुशवाह हाल निवासी वार्डनं02 गोहद परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

------आवेदिका

बनाम

जगदीश सिंह कुशवाह पुत्र श्यामलाल कुशवाह आयु 27 वर्ष निवासी चक रामपुरा थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर म0प्र0

-----अनावेदक

आवेदिका द्वारा श्री भगवती राजोरिया गुप्ता अधिवक्ता अनावेदिका द्वारा श्री पी०एन०भटेले अधिवक्ता

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 24-6-15 को पारित किया गया //

- 1— वर्तमान याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने वाबत् पेश किया गया है । जिसका कि निराकरण किया जा रहा है ।
- 2— उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती सरोज (जो कि आवेदन पत्र में आवेदिका के रूप में वर्णित की गयी है) एवं जगदीश सिंह कुशवाह (जो कि आवेदनपत्र में अनावेदक के रूप में वर्णित किया गया है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार कमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह दिनांक 27—6—10 को सम्पन्न हुआ था । पक्षकार कं01 एवं पक्षकार कं02 का शादी के बाद से ही सामन्जस्य नहीं रह पाया और व्यवहारिक दृष्टि से तथा दाम्पत्य दृष्टि से एक दूसरे का मेल मिलाप नहीं रह

पाया एवं आवेदक एवं अनावेदिका के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ है । आवेदिका कं01 एवं आवेदक कं02 सन् 2012 सितम्बर माह से अलग अलग रह रहे हैं और एक साथ नहीं रह सके हैं और भविष्य में भी एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है । आवेदक कं01 एवं आवेदक कं02 के मध्य अब पारस्परिक सहमित के आधार पर विवाह विच्छेद करने पर से सहमित बन चुकी है जिसमें श्रीमती सरोज आवेदक कं01 के पिता द्वारा नगदी व दहेज में जो भी सामान व चीजें दी गई हैं वह पित जगदीश आवेदिका कं02 के द्वारा परस्पर सहमित से वापिस कर दी गयी है और सम्पूर्ण स्त्री धन पक्षकार कमांक 1 ने प्राप्त कर लिया है । उसे पक्षकार कमांक 2 से कोई राशि प्राप्त नहीं करनी है भविष्य में एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं रहा है और न रहेगा सभी प्रकार के प्रकरणों में भी परस्पर सहमित के आधार पर राजीनामा किये जा रहे हैं । उभयपक्षकारों के आपसी सहमित के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में दिनांक 27—6—10 को सम्पन्न हुये विवाह को परस्पर सहमित के आधार पर विघटित करने की डिकी पारित करने का निवेदन किया गया है ।

- 3— पक्षकार क्रमांक 1 श्रीमती सरोज के द्वारा मूल रूप से एक याचिका अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम उसके प्रति अनावेदक के द्वारा क्रूरता किये जाने के आधार पर विवाह विच्छेद वाबत् पेश किया गया था जो कि पश्चात्वर्ती प्रक्रम में दिनांक 18—12—14 को उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद के संबंध में याचिका पेश किये जाने पर उसे धारा 13 ख हिन्दू विवाह के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया जिसमें कि धारा 13(ख) के अन्तर्गत परिवर्तित होने के उपरांत दिनांक 2—12—15, 20—4—15, 18—6—15 के उपरांत आगामी तिथियां नियत की गयी | उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार कं01 श्रीमती सरोज एवं पक्षकार कं02 जगदीश सिंह को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये | पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझोता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है | धारा 13 ख हिन्दू विवाह के अन्तर्गत याचिका पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है |
- 4— उभयपक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका के संबंध में विचार किया गया | पक्षकारों का हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार कं01 श्रीमती सरोज पक्षकार कं02 जगदीश सिंह की विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है | आपसी सहमति के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है | उभयपक्षकारों के मध्य आपसी

सुलह-समझौते और उनके आपस में साथ साथ रहने की भी कोई संभावना भी दर्शित नहीं होती है । पक्षकार करीब तीन वर्ष से भी अधिक अवधि से अलग अलग रह रहे हैं । आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । पक्षकारों के व्यक्त किया गया कि विवाह के समय दान दहेज में दिया हुआ सभी सामान पक्षकार कं02 को वापिस कर दिया गया है । पक्षकार क02 किसी प्रकार का कोई भरण पोषण पक्षकार क0 1 से नहीं चाहती है उनका कोई भरण पोषण शेष नहीं है ।

5— विचारोपरान्त उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमती के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :-

1—आवेदिका पक्षकार कं01 श्रीमती सरोज तथा जगदीश सिंह पक्षकार कं02 के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 27-6-10 आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है।

2-उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

3-उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेंगे ।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड